

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 8 फरवरी, 2017

संख्या 3/एस0टी01/ह0 अ0 6/2003/घा0 60/2017.- चूंकि राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप - धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
(2) ये प्रथम जनवरी, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. अधीक्षण तथा नियंत्रण (धारा 55 तथा 60).- आयुक्त प्रशासन का अधीक्षण तथा अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर का संग्रहण करेगा तथा उसके अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखेगा। राज्य, कर प्रशासन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक के सामने यथा वर्णित जिलों को समाविष्ट करते हुए निम्नलिखित पांच रेंजों में विभाजित होगा, अर्थात् :-

क्रम संख्या	रेंज	रेंज में समाविष्ट जिलों के नाम
1	2	3
1	अम्बाला	पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, तथा करनाल ।
2	फरीदाबाद	फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण) तथा पलवल ।
3	गुरुग्राम	गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण) तथा मेवात ।
4	हिसार	हिसार, जीन्द, फतेहाबाद, सिरसा तथा भिवानी ।
5	रोहतक	रोहतक, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, नारनौल तथा झज्जर ।

प्रत्येक रेंज की, संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा, प्रत्येक जिला की, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा तथा प्रत्येक सर्कल की, आबकारी तथा कराधान अधिकारी, या सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।"

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 8th February, 2017

No. 3 /ST-1/H.A.6/2003/S.60/2017,- Whereas the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 read with the proviso to the said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2017.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

“3. Superintendence and control. (sections 55 and 60).- The Commissioner shall superintend the administration and the collection of tax leviable under the Act and shall control all persons appointed to assist him thereunder. The State for the purpose of tax administration, shall be divided into the following five ranges comprising the districts as mentioned against each, namely –

Serial Number	Range	Name of the districts comprising the range
1	2	3
1	Ambala	Panchkula, Ambala, Yamunanagar, Kaithal, Kurukshetra and Karnal.
2	Faridabad	Faridabad (East), Faridabad (West), Faridabad (North), Faridabad (South) and Palwal.
3	Gurugram	Gurugram (East), Gurugram (West), Gurugram (North), Gurugram (South) and Mewat.
4	Hisar	Hisar, Jind, Fatehabad, Sirsa and Bhiwani.
5	Rohtak	Rohtak, Panipat, Sonipat, Rewari, Narnaul and Jhajjar.

Each range shall be headed by a Joint Excise and Taxation Commissioner, each district by a Deputy Excise and Taxation Commissioner and each circle by an Excise and Taxation Officer or an Assistant Excise and Taxation Officer, as the case may be.”.

Sanjeev Kaushal
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.